



This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
<https://rajpatra.hp.gov.in>

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शुक्रवार, 19 जून, 2026 / 29 ज्येष्ठ, 1948

हिमाचल प्रदेश सरकार

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

**NOTICE OF PUBLICATION OF AMENDMENTS IN DEVELOPMENT PLAN FOR
SHIMLA PLANNING AREA**

Shimla, 12th June, 2026

No. HIM/TP/PJT/DP-Shimla/2024/Vol.-I-1774-1797.—In exercise of the powers vested under sub-section (1) of section 19 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977

(Act No. 12 of 1977), the amendment proposed to be carried out in Development Plan for Shimla Planning Area notified *vide* Notification No. TCP-F05/4/2022 dated 20-06-2023 as per **Annexure-A**, is hereby published and Notice is given that a copy of the said proposed amendment is available for inspection during the office hours in the following offices :—

1. The Director,
Town and Country Planning Department,
Himachal Pradesh, Block No. 32-A, SDA Complex,
Kasumpti, Shimla-171009.
2. The Town and Country Planner,
Divisional Town Planning Office,
Shimla, Himachal Pradesh.
3. The Commissioner,
Municipal Corporation,
Shimla, Himachal Pradesh.

If any person(s), likely to be affected by the provisions of the aforesaid proposed amendment has any objection(s) or suggestion(s) with respect to the aforesaid proposed amendment, he/she may send the same in writing to the Director, Town and Country Planning Department, Himachal Pradesh, Block No. 32-A, SDA Complex, Kasumpti, Shimla-171009 or the Town and Country Planner, Divisional Town Planning Office, Shimla, Himachal Pradesh, or the Commissioner, Municipal Corporation, Shimla, Himachal Pradesh, within a period of **30 days** from the date of publication of this Notice in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

Objection(s) or suggestion(s), if any, received within the period as specified above, shall be taken into consideration before finalizing the provisions of the aforesaid proposed amendments.

Place : Shimla.

Date :

Sd/-
(HEMIS NEGI, I.A.S.),
Director,
Town and Country Planning Department,
Himachal Pradesh, Shimla – 171 009,
Phone No. 0177-2622494.

Annexure-A

AMENDMENTS IN CHAPTER 17

In Chapter-17 of the Development Plan for **Shimla Planning Area** following amendment are proposed to be carried out namely :—

1. In Regulation 17.2 "PLANNING REGULATIONS", after clause 1.1 of sub-regulation 1(1), the following new clause shall be inserted, namely :—

“1.2 In the Core Areas as defined in this Development Plan, the concerned authority shall submit proposal to the Director, Town and Country Planning. After examining, the Director shall send the case alongwith it's recommendation to the State

Government. Based on the said recommendation, the State Government shall grant approval in principle.”

TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, the 12th June, 2026

No. TE-B015/58/2026-TE.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order to fill-up of 10% seats amongst the category of EWS (Economic Weaker Section) over and above of the intake of the Institutes *i.e.* Pharmacy Colleges and Polytechnics (Diploma in Pharmacy), with immediate effect in public interest, subject to the conditions :—

“The seats shall be 10% of "Approved intake" and under the category of Supernumerary. These seats shall be filled with only those candidates for whom the benefit is meant for by the competent authority and not by the Institution. Further in the event of such seats not being filled from EWS, the said seats shall remain vacant and not be filled by other category candidates

Owing to the instructions, issued by the Registrar-Cum-Secretary, Pharmacy Council of India *vide* Circular Ref. No. 14-48/2025-PCI dated 20-03-2026 in Pharmacy admissions, EWS (Economic Weaker Section) seats were treated as supernumerary seats and were not included by the Department in the reservation roster. Therefore, the old 200-point reservation roster was applied only to the sanctioned intake meant for other categories, whereas the 10% EWS (Economic Weaker Section) seats were maintained separately over & above the approved.

Intake in accordance with the above instructions or issued time to time.

The Admission Committees and the Registration Authorities shall ensure proper scrutiny and verification of all admissions, including admissions made against EWS (Economic Weaker Section) Seats.

By order,

DR. ABHISHEK JAIN,
*Secretary (Technical Education,
Vocational and Industrial Training).*

SPECIFIC NOTIFICATION

FINANCE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, June 18, 2026

No. FIN-2-C(12)-1/2026(I).—Government of Himachal Pradesh hereby notifies the sale of Himachal Pradesh Government Stock (securities) of 18-year tenure for an aggregate amount of

₹300 crore (Nominal). The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this notification (called specific Notification) as also the terms and conditions specified in the General Notification No. Fin-2- C(12)-11/2003 dated November 06, 2025 of Government of Himachal Pradesh.

Object of the Loan

1. (i) The proceed of the State Government Securities will be utilize for the development programme of the State of Himachal Pradesh.
- (ii) Consent of Central Government has been obtained to the floatation of this loan as required by Article 293(3) of the Constitution of India.

Method of Issue

2. Government Stock will be sold through the Reserve Bank of India, Mumbai Office (PDO) Fort, Mumbai- 400 001 by auction in the manner as prescribed in paragraph 6.1 of the General Notification No. Fin-2-C(12)-11/2003 dated November 06, 2025 at a coupon rate to be determined by the Reserve Bank of India at the yield based auction under multiple price formats.

Allotment to Non-competitive Bidders

3. The Government Stock up to 10 % of the notified amount of the sale will be allotted to eligible individuals and institutions subject to a maximum limit of 1 % of the notified amount for a single bid as per the Revised Scheme for Non-competitive Bidding Facility in the Auctions of State Government Securities of the General Notification (Annexure – II).

Place and Date of Auction

4. The auction will be conducted by the Reserve Bank of India, at its Mumbai Office, Fort, Mumbai - 400 001 on June 23, 2026. Bids for the auction should be submitted in electronic format, on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system as stated below on June 23, 2026.

- (a) The competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system between 10:30 A.M. and 11.30 A.M.
- (b) The non-competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system between 10.30 A.M. and 11.00 A.M.

Result of the Auction

5. The result of the auction shall be displayed by the Reserve Bank of India on its website on the same day. The payment by successful bidders will be on June 24, 2026.

Method of Payment

6. Successful bidders will make payments on June 24, 2026 before close of banking hours by means of cash, bankers' cheque/pay order, demand draft payable at Reserve Bank of India, Mumbai / New Delhi or a cheque drawn on their account with Reserve Bank of India, Mumbai (Fort) / New Delhi.

Tenure

7. The Stock will be of 18-year tenure. The tenure of the Stock will commence on June 24, 2026.

Date of Repayment

8. The loan will be repaid at par on June 24, 2044.

Rate of Interest

9. The cut-off yield determined at the auction will be the coupon rate percent per annum on the Stock sold at the auction. The interest will be paid on December 24 and June 24.

Eligibility of Securities

10. The investment in Government Stock will be reckoned as an eligible investment in Government Securities by banks for the purpose of Statutory Liquidity Ratio (SLR) under Section 24 of the Banking Regulation Act, 1949. The stocks will qualify for the ready forward facility.

By order and in the name of the Governor of Himachal Pradesh

Sd/-
(Dr. Abhishek Jain, I.A.S),
Secretary (Finance).

SPECIFIC NOTIFICATION**FINANCE DEPARTMENT****NOTIFICATION**

Shimla, June 18, 2026

No. FIN-2-C(12)-1/2026(II).—Government of Himachal Pradesh hereby notifies the sale of Himachal Pradesh Government Stock (securities) of 23-year tenure for an aggregate amount of ₹400 crore (Nominal). The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this notification (called specific Notification) as also the terms and conditions specified in the General Notification No. Fin-2-C(12)-11/2003 dated November 06, 2025 of Government of Himachal Pradesh.

Object of the Loan

1. (i) The proceed of the State Government Securities will be utilize for the development programme of the State of Himachal Pradesh.
- (ii) Consent of Central Government has been obtained to the floatation of this loan as required by Article 293(3) of the Constitution of India.

Method of Issue

2. Government Stock will be sold through the Reserve Bank of India, Mumbai Office (PDO) Fort, Mumbai- 400 001 by auction in the manner as prescribed in paragraph 6.1 of the General Notification No. Fin-2-C(12)-11/2003 dated November 06, 2025 at a coupon rate to be determined by the Reserve Bank of India at the yield based auction under multiple price formats.

Allotment to Non-competitive Bidders

3. The Government Stock up to 10 % of the notified amount of the sale will be allotted to eligible individuals and institutions subject to a maximum limit of 1 % of the notified amount for a single bid as per the Revised Scheme for Non-competitive Bidding Facility in the Auctions of State Government Securities of the General Notification (Annexure – II).

Place and Date of Auction

4. The auction will be conducted by the Reserve Bank of India, at its Mumbai Office, Fort, Mumbai - 400 001 on June 23, 2026. Bids for the auction should be submitted in electronic format, on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system as stated below on June 23, 2026.

- (a) The competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system between 10:30 A.M. and 11.30 A.M.
- (b) The non-competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system between 10.30 A.M. and 11.00 A.M.

Result of the Auction

5. The result of the auction shall be displayed by the Reserve Bank of India on its website on the same day. The payment by successful bidders will be on June 24, 2026.

Method of Payment

6. Successful bidders will make payments on June 24, 2026 before close of banking hours by means of cash, bankers' cheque/pay order, demand draft payable at Reserve Bank of India, Mumbai / New Delhi or a cheque drawn on their account with Reserve Bank of India, Mumbai (Fort) / New Delhi.

Tenure

7. The Stock will be of 23-year tenure. The tenure of the Stock will commence on June 24, 2026.

Date of Repayment

8. The loan will be repaid at par on June 24, 2049.

Rate of Interest

9. The cut-off yield determined at the auction will be the coupon rate percent per annum on the Stock sold at the auction. The interest will be paid on December 24 and June 24.

Eligibility of Securities

10. The investment in Government Stock will be reckoned as an eligible investment in Government Securities by banks for the purpose of Statutory Liquidity Ratio (SLR) under Section 24 of the Banking Regulation Act, 1949. The stocks will qualify for the ready forward facility.

By order and in the name of the Governor of Himachal Pradesh

Sd/-
(Dr. Abhishek Jain, I.A.S),
Secretary (Finance).

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001**NOTIFICATION**

Shimla, the 12th June, 2026

No. HHC/Estt.3(578)/2006-I.—13 days earned leave on and *w.e.f.* 18-06-2026 to 30-06-2026, is hereby sanctioned in favour of Smt. Seema Sharma, Deputy Registrar of this Registry.

Certified that Smt. Seema Sharma is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Smt. Seema Sharma would have continued to officiate the same post of Deputy Registrar but for her proceeding on leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA- 171 001**NOTIFICATION**

Shimla, the 15th June, 2026

No. HHC/Admn.3(399)/95-I.—08 days earned leave on and *w.e.f.* 20-05-2026 to 27-05-2026, is hereby sanctioned, *ex-post facto*, in favour of Shri Beer Singh Sharma, Additional Registrar of this Registry.

Certified that Shri Beer Singh Sharma has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Beer Singh Sharma would have continued to officiate the same post of Additional Registrar but for his proceeding on leave.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 15th June, 2026

No. HHC/Estt.3(466)/96.—10 days earned leave *w.e.f.* 03-06-2026 to 12-06-2026, with permission to suffix second Saturday and Sunday fell on 13-06-2026 & 14-06-2026, is hereby sanctioned, *ex-post-facto*, in favour of Shri Maan Dass Mokhta, Court Master of this Registry.

Certified that Shri Maan Dass Mokhta has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Maan Dass Mokhta would have continued to officiate the same post of Court Master but for his proceeding on leave.

. By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 12th June, 2026

No. HHC/Estt.3(716)/2009.—05 days earned leave on and with effect from 08-06-2026 to 12-06-2026, with permission to prefix Sunday fell on 07-06-2026 and suffix second Saturday and Sunday falling on 13-06-2026 & 14-06-2026 is hereby sanctioned in favour of Smt. Asha Thakur, Court Master of this Registry.

Certified that Smt. Asha Thakur is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Smt. Asha Thakur would have continued to officiate the same post of Court Master but for her proceeding on leave.

By order,

Sd/-
Registrar General.

ADVOCATE GENERAL DEPARTMENT

HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla-171 001, the 13th May, 2026

No. 1-43/2023.—Sanction is hereby accorded to the grant of six (06) days earned leave *w.e.f.* 11th to 16th May, 2026 with permission to avail prefix/suffix *i.e.* Second Saturday and Sunday falling on 9th, 10th and 19th May, 2026 in favour of Shri Rohit Sharma, Deputy Advocate General of this department.

Certified that Shri Rohit Sharma, Deputy Advocate General would have continued to officiate but for his proceeding on six (06) days earned leave and that, this period will count for continuation of his service.

Certified that Shri Rohit Sharma, Deputy Advocate General is likely, on the expiry of leave to return for duty to the station from where he proceeds on leave.

Sd/-
(RAMAKANT SHARMA)
Additional Advocate General.

ADVOCATE GENERAL DEPARTMENT

HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla-171 001, the 13th May, 2026

No. 1-17/2024.—Sanction is hereby accorded to the grant of twelve (12) days earned leave *w.e.f.* 11th to 22nd May, 2026 with permission to avail prefix *i.e.* Second Saturday and Sunday falling on 9th and 10th May, 2026 in favour of Sh. Mandeep Thakur, Deputy Advocate General.

Certified that Sh. Mandeep Thakur, Deputy Advocate General would have continued to officiate but for his proceeding on twelve (12) days earned leave and that, this period will count for continuation of his service.

Certified that Sh. Mandeep Thakur Deputy Advocate General is likely, on the expiry of leave to return for duty to the station from where he proceeds on leave.

Sd/-
(RAMAKANT SHARMA)
Additional Advocate General.

OFFICE OF THE ADVOCATE GENERAL**HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001****NOTIFICATION***Shimla-171 001, the 18th May, 2026*

No. 1-6/2024.—Sanction is hereby accorded to the grant of three (03) days earned leave *w.e.f.* 18th to 20th May, 2026 with permission to avail prefix *i.e.* Sunday which fell on falling on 17th May, 2026 in favour of Sh. Rajinder Singh Verma, Additional Advocate General.

Certified that Sh. Rajinder Singh Verma, Additional Advocate General would have continued to officiate but for his proceeding on three (03) days earned leave and this period will count for continuation of his service.

Certified that Sh. Rajinder Singh Verma, Additional Advocate General is likely, on the expiry of leave to return for duty to the station from where he proceeded on leave.

Sd/-
(RAMAKANT SHARMA)
Additional Advocate General.

OFFICE OF THE ADVOCATE GENERAL**HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001****NOTIFICATION***Shimla-171 001, the 21st May, 2026*

No. 1-8/2023.—Sanction is hereby accorded to the grant of two (02) days earned leave for 21st and 22nd May, 2026 in favour of Sh. Ishwari Nand Mehta, Senior Additional Advocate General of this department.

Certified that Sh. Ishwari Nand Mehta, Senior Additional Advocate General would have continued to officiate but for his proceeding on two (02) days earned leave and that, this period will count for continuation of his service.

Certified that Sh. Ishwari Nand Mehta, Senior Additional Advocate General is likely, on the expiry of leave to return for duty to the station from where he proceeds on leave.

Sd/-
(RAMAKANT SHARMA)
Additional Advocate General.

ADVOCATE GENERAL DEPARTMENT

HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla-171 001, the 21st May, 2026

No. 1-19/2024.—Sanction is hereby accorded to the grant of eight (08) days earned leave *w.e.f.* 18th to 25th May, 2026 with permission to avail prefix *i.e.* Sunday which fell on 17th May, 2026, in favour of Ms. Santosh Dogra, Deputy Advocate General of this department.

Certified that Ms. Santosh Dogra, Deputy Advocate General would have continued to officiate but for her proceeding on eight (08) days earned leave and that, this period will count for continuation of her service.

Certified that Ms. Santosh Dogra, Deputy Advocate General is likely, on the expiry of leave to return for duty to the station from where she proceeded on leave.

Sd/-
(RAMAKANT SHARMA)
Additional Advocate General.

ADVOCATE GENERAL DEPARTMENT

HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla-171 001, the 7th May, 2026

No. 1-33/2024.—Sanction is hereby accorded to the grant of five (05) days earned leave *w.e.f.* 11th to 15th May, 2026 with permission to avail prefix *i.e.* Second Saturday and Sunday falling on 9th and 10th May, 2026 in favour of Sh. Manish Thakur, Deputy Advocate General of this department.

Certified that Sh. Manish Thakur, Deputy Advocate General would have continued to officiate but for his proceeding on five (05) days earned leave and that, this period will count for continuation of his service.

Certified that Sh. Manish Thakur, Deputy Advocate General is likely, on the expiry of leave will return for duty to the station from where he proceeds on leave.

Sd/-
(RAMAKANT SHARMA)
Additional Advocate General.

ADVOCATE GENERAL DEPARTMENT**HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001****NOTIFICATION***Shimla-171 001, the 9th April, 2026*

No. 1-38/2024.—*Ex-post facto* sanction is hereby accorded to the grant of thirteen (13) days earned leave *w.e.f.* 23rd February to 7th March, 2026 with permission to avail prefix/suffix *i.e.* Sunday falling on 22nd February and 8th March, 2026 in favour of Shri Shalabh Thakur, Assistant Advocate General of this department.

Certified that Shri Shalabh Thakur, Assistant Advocate General would have continued to officiate but for his proceeding on thirteen (13) days earned leave and that this period will count for continuation of his service.

Certified that Shri Shalabh Thakur, Assistant Advocate General was likely, on the expiry of leave will return for duty to the station from where he proceeded on leave.

Sd/-
(RAMAKANT SHARMA)
Additional Advocate General.

ADVOCATE GENERAL DEPARTMENT**HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001****NOTIFICATION***Shimla-171 001, the 27th March, 2026*

No. 1-32/2023.—*Ex-post facto* sanction is hereby accorded to the grant of three (03) days earned leave *w.e.f.* 23rd to 25th March, 2026 with permission to avail prefix/suffix *i.e.* Gazetted Holidays and Sunday falling on 21st, 22nd and 26th March, 2026 in favour of Sh. Prashant Sen, Deputy Advocate General.

Certified that Sh. Prashant Sen, Deputy Advocate General would have continued to officiate but for his proceeding on three (03) days earned leave and this period will count for continuation of his service.

Certified that Sh. Prashant Sen, Deputy Advocate General was likely, on the expiry of leave will return for duty to the station from where he proceeded on leave.

Sd/-
(ISHWARI NAND MEHTA)
Sr. Additional Advocate General.

ADVOCATE GENERAL DEPARTMENT

HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla-171 001, the 27th March, 2026

No. 1-27/2024.—*Ex-post facto* sanction is hereby accorded to the grant of three (03) days earned leave *w.e.f.* 23rd to 25th March, 2026 with permission to avail prefix/suffix *i.e.* Gazetted Holidays and Sunday falling on 21st, 22nd and 26th March, 2026 in favour of Shri Sikander Bhushan, Deputy Advocate General of this department.

Certified that Shri Sikander Bhushan, Deputy Advocate General would have continued to officiate but for his proceeding on three (03) days earned leave and this period will count for continuation of his service.

Certified that Shri Sikander Bhushan, Deputy Advocate General was likely, on the expiry of leave to return for duty to the station from where he proceeded on leave.

Sd/-
(ISHWARI NAND MEHTA)
Sr. Additional Advocate General.

OFFICE OF THE ADVOCATE GENERAL

HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla-171 001, the 31st March, 2026

No. 1-31/2023.—Sanction is hereby accorded to the grant of five (05) days earned leave *w.e.f.* 6th to 10th April, 2026 with permission to avail prefix/suffix *i.e.* Sunday and Second Saturday falling on 5th, 11th and 12th April, 2025 in favour of Ms. Ranjana Patial, Deputy Advocate General of this department.

Certified that Ms. Ranjana Patial, Deputy Advocate General would have continued to officiate but for her proceeding on five (05) days earned leave and this period will count for continuation of her service.

Certified that Ms. Ranjana Patial, Deputy Advocate General is likely, on the expiry of leave to return for duty to the station from where she proceeds on leave.

Sd/-
(RAMAKANT SHARMA)
Additional Advocate General.

**ब अदालत डी०सी० राणा नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि०प्र०)**

श्री कर्म सिंह पुत्र हरदयाल, निवासी गांव मन्दरवाड़, परगना हिमगिरी, तहसील सलूणी, जिला चम्बा,
हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) के अन्तर्गत विलंबित जन्म/मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

श्री कर्म सिंह पुत्र हरदयाल, निवासी गांव मन्दरवाड़, परगना हिमगिरी, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनका जन्म दिनांक 29-09-1975 को ग्राम पंचायत भड़ेला, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था लेकिन वह अज्ञानतावश उनके जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत भड़ेला, तहसील सलूणी, जिला चम्बा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सके। अतः ग्राम पंचायत भड़ेला के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में जन्म का विलंबित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो उजरकर्ता दिनांक 02-07-2026 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजेंट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना-पत्र जन्म पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी 02-07-2026 के बाद कोई भी उजर/एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 02-06-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि०प्र०)।

**ब अदालत डी०सी० राणा नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि०प्र०)**

श्री दुनी चन्द पुत्र डूम, निवासी गांव ऐरवां, परगना जून्ढ, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) के अन्तर्गत विलंबित जन्म/मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

श्री दुनी चन्द पुत्र डूम, निवासी गांव ऐरवां, परगना जून्ढ, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनका जन्म दिनांक 11-07-1966 को ग्राम पंचायत सुन्डला, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था लेकिन वह अज्ञानतावश उनके जन्म

का पंजीकरण ग्राम पंचायत सुन्दला, तहसील सलूणी, जिला चम्बा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सके। अतः ग्राम पंचायत सुन्दला के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में जन्म का विलंबित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इशतहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो उजरकर्ता दिनांक 02-07-2026 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजेंट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना-पत्र जन्म पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी 02-07-2026 के बाद कोई भी उजर/एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 02-06-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत डी0सी0 राणा नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)**

श्री हरी चन्द पुत्र हंसो, निवासी गांव जनण, परगना हिमगिरी, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश वादी।

बनाम

आम जनता प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) के अन्तर्गत विलंबित जन्म/मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

श्री हरी चन्द पुत्र हंसो, निवासी गांव जनण, परगना हिमगिरी, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनका जन्म दिनांक 10-09-1983 को ग्राम पंचायत भड़ेला, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था लेकिन वह अज्ञानतावश उनके जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत भड़ेला, तहसील सलूणी, जिला चम्बा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सके। अतः ग्राम पंचायत भड़ेला के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में जन्म का विलंबित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इशतहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो उजरकर्ता दिनांक 02-07-2026 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजेंट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना-पत्र जन्म पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी 02-07-2026 के बाद कोई भी उजर/एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 02-06-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत डी०सी० राणा नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि०प्र०)**

श्रीमती हियुन्गला पुत्री श्री डोगरू, निवासी गांव गोसा, परगना डियूर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा,
हिमाचल प्रदेश वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) के अन्तर्गत विलंबित जन्म/मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

श्रीमती हियुन्गला पुत्री श्री डोगरू, निवासी गांव गोसा, परगना डियूर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनका जन्म दिनांक 12-08-1977 को ग्राम पंचायत डियूर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था लेकिन वह अज्ञानतावश उनके जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत डियूर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सके। अतः ग्राम पंचायत डियूर के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में जन्म का विलंबित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो उजरकर्ता दिनांक 02-07-2026 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजेंट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना-पत्र जन्म पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी 02-07-2026 के बाद कोई भी उजर/एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 02-06-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि०प्र०)।

**ब अदालत डी०सी० राणा नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि०प्र०)**

श्रीमती खेलकू पत्नी श्री मान सिंह, निवासी गांव मैड़ा, परगना किहार, तहसील सलूणी, जिला चम्बा,
हिमाचल प्रदेश वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) के अन्तर्गत विलंबित जन्म/मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

श्रीमती खेलकू पत्नी श्री मान सिंह, निवासी गांव मैड़ा, परगना किहार, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनकी पुत्री (संजना देवी) का

जन्म दिनांक 15-03-2009 को ग्राम पंचायत किहार, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था लेकिन वह अज्ञानतावश उनके जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत किहार, तहसील सलूणी, जिला चम्बा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सके। अतः ग्राम पंचायत किहार के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में जन्म का विलंबित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इशतहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो उजरकर्ता दिनांक 02-07-2026 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजेंट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना-पत्र जन्म पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी 02-07-2026 के बाद कोई भी उजर/एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 02-06-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत डी0सी0 राणा नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)**

श्रीमती चम्पो पुत्री श्री चमारु राम, निवासी गांव भटोली, परगना जून्ढ, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

प्रतिवादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) के अन्तर्गत विलंबित जन्म/मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

श्रीमती चम्पो पुत्री श्री चमारु राम, निवासी गांव भटोली, परगना जून्ढ, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनका जन्म दिनांक 12-12-1985 को ग्राम पंचायत खरोठी, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था लेकिन वह अज्ञानतावश उनके जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत खरोठी, तहसील सलूणी, जिला चम्बा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सके। अतः ग्राम पंचायत खरोठी के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में जन्म का विलंबित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इशतहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो उजरकर्ता दिनांक 02-07-2026 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजेंट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना-पत्र जन्म पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी 02-07-2026 के बाद कोई भी उजर/एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 02-06-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत डी0सी0 राणा नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)**

श्री सुरेश सिंह पुत्र बिन्द्रो राम, निवासी गांव सरोग, परगना किहार, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश प्रतिवादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) के अन्तर्गत विलंबित जन्म/मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

श्री सुरेश सिंह पुत्र बिन्द्रो राम, निवासी गांव सरोग, परगना किहार, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनका जन्म दिनांक 14-11-1993 को ग्राम पंचायत किहार, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था लेकिन वह अज्ञानतावश उनके जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत किहार, तहसील सलूणी, जिला चम्बा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सके। अतः ग्राम पंचायत किहार के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में जन्म का विलंबित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो उजरकर्ता दिनांक 02-07-2026 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजेंट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना-पत्र जन्म पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी 02-07-2026 के बाद कोई भी उजर/एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 02-06-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत डी0सी0 राणा नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)**

श्री प्यारे लाल पुत्र चमारू, निवासी गांव ब्रम्हा, परगना मन्जीर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश प्रतिवादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) के अन्तर्गत विलंबित जन्म/मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

श्री प्यारे लाल पुत्र चमारू, निवासी गांव ब्रम्हा, परगना मन्जीर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनका जन्म दिनांक 02-11-1971 को

ग्राम पंचायत सलूणी, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था लेकिन वह अज्ञानतावश उनके जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत सलूणी, तहसील सलूणी, जिला चम्बा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सके। अतः ग्राम पंचायत सलूणी के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में जन्म का विलंबित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो उजरकर्ता दिनांक 02-07-2026 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजेंट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना-पत्र जन्म पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी 02-07-2026 के बाद कोई भी उजर/एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 02-06-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत डी0सी0 राणा नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)

श्री देव राज पुत्र दियालू, निवासी गांव धनून, परगना मन्जीर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) के अन्तर्गत विलंबित जन्म/मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

श्री देव राज पुत्र दियालू, निवासी गांव धनून, परगना मन्जीर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनकी पुत्री का जन्म दिनांक 02-03-2010 को ग्राम पंचायत सलूणी, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था लेकिन वह अज्ञानतावश उनके जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत सलूणी, तहसील सलूणी, जिला चम्बा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सके। अतः ग्राम पंचायत सलूणी के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में जन्म का विलंबित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो उजरकर्ता दिनांक 02-07-2026 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजेंट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना-पत्र जन्म पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी 02-07-2026 के बाद कोई भी उजर/एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 02-06-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत डी०सी० राणा नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि०प्र०)**

श्रीमती नीलम कुमारी पुत्री भगत राम, निवासी गांव कोयल, परगना मन्जीर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) के अन्तर्गत विलंबित जन्म/मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

श्रीमती नीलम कुमारी पुत्री भगत राम, निवासी गांव कोयल, परगना मन्जीर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनका जन्म दिनांक 23-07-2004 को ग्राम पंचायत सिंगाधार, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था लेकिन वह अज्ञानतावश उनके जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत सिंगाधार, तहसील सलूणी, जिला चम्बा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सके। अतः ग्राम पंचायत सिंगाधार के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में जन्म का विलंबित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो उजरकर्ता दिनांक 02-07-2026 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजेंट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना—पत्र जन्म पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी 02-07-2026 के बाद कोई भी उजर/एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 02-06-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि०प्र०)।

**ब अदालत डी०सी० राणा नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि०प्र०)**

श्रीमती खेलकू पुत्री दरबारी, निवासी गांव ब्रेई, परगना हिमगिरी, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) के अन्तर्गत विलंबित जन्म/मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

श्रीमती खेलकू पुत्री दरबारी, निवासी गांव ब्रेई, परगना हिमगिरी, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनका जन्म दिनांक

01-01-1974 को ग्राम पंचायत खड़जौता, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था लेकिन वह अज्ञानतावश उनके जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत खड़जौता, तहसील सलूणी, जिला चम्बा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सके। अतः ग्राम पंचायत खड़जौता के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में जन्म का विलंबित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इशतहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो उजरकर्ता दिनांक 02-07-2026 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजेंट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना-पत्र जन्म पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी 02-07-2026 के बाद कोई भी उजर/एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 02-06-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत डी0सी0 राणा नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)

श्रीमती दिशु पुत्री श्री भीलो, निवासी गांव अटालू, परगना जून्ढ, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) के अन्तर्गत विलंबित जन्म/मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

श्रीमती दिशु पुत्री श्री भीलो, निवासी गांव अटालू, परगना जून्ढ, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनका जन्म दिनांक 01-01-1965 को ग्राम पंचायत खरल, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था लेकिन वह अज्ञानतावश उनके जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत खरल, तहसील सलूणी, जिला चम्बा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सके। अतः ग्राम पंचायत खरल के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में जन्म का विलंबित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इशतहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो उजरकर्ता दिनांक 02-07-2026 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजेंट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना-पत्र जन्म पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी 02-07-2026 के बाद कोई भी उजर/एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 02-06-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत डी०सी० राणा नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि०प्र०)**

श्रीमती दर्शना पुत्री लरजू, निवासी गांव लोहाणी, परगना जून्ढ, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) के अन्तर्गत विलंबित जन्म/मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

श्रीमती दर्शना पुत्री लरजू, निवासी गांव लोहाणी, परगना जून्ढ, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनका जन्म दिनांक 27-04-1980 को ग्राम पंचायत खरल, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था लेकिन वह अज्ञानतावश उनके जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत खरल, तहसील सलूणी, जिला चम्बा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सके। अतः ग्राम पंचायत खरल के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में जन्म का विलंबित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो उजरकर्ता दिनांक 02-07-2026 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजेंट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना—पत्र जन्म पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी 02-07-2026 के बाद कोई भी उजर/एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 02-06-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि०प्र०)।

**ब अदालत डी०सी० राणा नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि०प्र०)**

श्री लालो पुत्र जयदयाल, निवासी गांव अटाला, परगना किहार, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) के अन्तर्गत विलंबित जन्म/मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

श्री लालो पुत्र जयदयाल, निवासी गांव अटाला, परगना किहार, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनके पुत्र रिशु का जन्म दिनांक

05-05-2015 एवं अक्षय का जन्म 10-05-2016 को ग्राम पंचायत सूरी, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था लेकिन वह अज्ञानतावश उनके जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत सूरी, तहसील सलूणी, जिला चम्बा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सके। अतः ग्राम पंचायत सूरी के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में जन्म का विलंबित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इशतहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो उजरकर्ता दिनांक 02-07-2026 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजेंट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना-पत्र जन्म पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी 02-07-2026 के बाद कोई भी उजर/एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 02-06-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत डी0सी0 राणा नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)**

श्री बुधि सिंह पुत्र राम किशन, निवासी गांव डांड, परगना किहार, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

प्रतिवादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) के अन्तर्गत विलंबित जन्म/मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

श्री बुधि सिंह पुत्र राम किशन, निवासी गांव डांड, परगना किहार, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनका जन्म दिनांक 06-02-1979 को ग्राम पंचायत डांड, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था लेकिन वह अज्ञानतावश उनके जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत डांड, तहसील सलूणी, जिला चम्बा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सके। अतः ग्राम पंचायत डांड के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में जन्म का विलंबित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इशतहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो उजरकर्ता दिनांक 02-07-2026 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजेंट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना-पत्र जन्म पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी 02-07-2026 के बाद कोई भी उजर/एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 02-06-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत डी०सी० राणा नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि०प्र०)**

श्री किरपो उर्फ किरपा राम पुत्र लखिया, निवासी गांव ठोला, परगना जून्ढ, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश प्रतिवादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) के अन्तर्गत विलंबित जन्म/मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

श्री किरपो उर्फ किरपा राम पुत्र लखिया, निवासी गांव ठोला, परगना जून्ढ, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनका जन्म दिनांक 01-01-1952 को ग्राम पंचायत सुन्डला, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था लेकिन वह अज्ञानतावश उनके जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत सुन्डला, तहसील सलूणी, जिला चम्बा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सके। अतः ग्राम पंचायत सुन्डला के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में जन्म का विलंबित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो उजरकर्ता दिनांक 02-07-2026 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजेंट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना—पत्र जन्म पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी 02-07-2026 के बाद कोई भी उजर/एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 02-06-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि०प्र०)।

**ब अदालत डी०सी० राणा नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि०प्र०)**

श्री भेलो पुत्र मेला, निवासी गांव फाटी, परगना डियूर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश प्रतिवादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) के अन्तर्गत विलंबित जन्म/मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

श्री भेलो पुत्र मेला, निवासी गांव फाटी, परगना डियूर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनका जन्म दिनांक 05-06-1981 को ग्राम

पंचायत कंधवारा, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था लेकिन वह अज्ञानतावश उनके जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत कंधवारा, तहसील सलूणी, जिला चम्बा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सके। अतः ग्राम पंचायत कंधवारा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में जन्म का विलंबित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इशतहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो उजरकर्ता दिनांक 02-07-2026 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजेंट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना-पत्र जन्म पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी 02-07-2026 के बाद कोई भी उजर/एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 02-06-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत डी0सी0 राणा नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)

श्री तेज राम पुत्र निहालू राम, निवासी गांव जुवान्स, परगना भान्दल, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) के अन्तर्गत विलंबित जन्म/मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

श्री तेज राम पुत्र निहालू राम, निवासी गांव जुवान्स, परगना भान्दल, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनका जन्म दिनांक 03-06-1966 को ग्राम पंचायत सनूह, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था लेकिन वह अज्ञानतावश उनके जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत सनूह, तहसील सलूणी, जिला चम्बा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सके। अतः ग्राम पंचायत सनूह के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में जन्म का विलंबित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इशतहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो उजरकर्ता दिनांक 02-07-2026 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजेंट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना-पत्र जन्म पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी 02-07-2026 के बाद कोई भी उजर/एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 02-06-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत डी0सी0 राणा नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)**

श्री शाम लाल पुत्र देवीदयाल, निवासी गांव सुआ, परगना भान्दल, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) के अन्तर्गत विलंबित जन्म/मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

श्री शाम लाल पुत्र देवीदयाल, निवासी गांव सुआ, परगना भान्दल, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनका जन्म दिनांक 09-11-1970 को ग्राम पंचायत सनूह, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था लेकिन वह अज्ञानतावश उनके जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत सनूह, तहसील सलूणी, जिला चम्बा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सके। अतः ग्राम पंचायत सनूह के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में जन्म का विलंबित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो उजरकर्ता दिनांक 02-07-2026 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजेंट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना-पत्र जन्म पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी 02-07-2026 के बाद कोई भी उजर/एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 02-06-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत जनाब सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

मिसल नं0	किस्म मुकद्दमा	तारीख दायर	तारीख पेशी
30/NT/2026	जन्म तिथि पंजीकरण	12-06-2026	30-06-2026

श्रीमती पवना देवी पुत्री गुरकन राम व जसोदा देवी, वासी मोहाल बजरोल, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

जन्म तिथि पंजीकरण under section 13 (3) of Birth & Death Act, 1969 श्रीमती पवना देवी पुत्री गुरकन राम व जसोदा देवी, वासी मोहाल बजरोल, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

प्रार्थना—पत्र बराये जन्म तिथि पंजीकरण प्रार्थिया श्रीमती पवना देवी पुत्री गुरकन राम व जसोदा देवी, वासी मोहाल बजरोल, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में दायर किया है कि उनका जन्म दिनांक 05-04-1960 को ग्राम पंचायत बजरोल में हुआ था तथा सहबन गलती से ग्राम पंचायत बजरोल में दर्ज नहीं हो पाया है। लिहाजा इसे ग्राम पंचायत बजरोल में दर्ज करने के लिए आदेश पारित किये जाएं।

अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक तारीख पेशी 30-06-2026 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज नहीं सुना जाएगा।

आज दिनांक 12-06-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी सुजानपुर,
जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

ब अदालत जनाब सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

मिसल नं0	किस्म मुकद्दमा	तारीख दायर	तारीख पेशी
32/NT/2026	नाम दुरुस्ती	30-05-2025	30-06-2026

श्री दीपक कुमार सरोच पुत्र ईश्वर दास, वासी मोहाल सुजानपुर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

प्रार्थना—पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री दीपक कुमार सरोच पुत्र ईश्वर दास, वासी मोहाल सुजानपुर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

प्रार्थना—पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री दीपक कुमार सरोच पुत्र ईश्वर दास, वासी मोहाल सुजानपुर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख में दीपक पुत्र ईश्वर दास पुत्र खजाना राम दर्ज है जबकि उनका सही नाम दीपक सरोच उर्फ दीपक कुमार सरोच पुत्र ईश्वर दास पुत्र खजाना राम है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके मोहाल सुजानपुर के राजस्व अभिलेख में दीपक सरोच उर्फ दीपक कुमार सरोच पुत्र ईश्वर दास पुत्र खजाना राम किया जाए।

अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी हितबद्ध व्यक्ति को उपरोक्त नाम दुरुस्त बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक तारीख पेशी 30-06-2026 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज नहीं सुना जाएगा।

आज दिनांक 12-06-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी सुजानपुर,
जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

ब अदालत जनाब सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

मिसल नं०	किस्म मुकद्दमा	तारीख दायर	तारीख पेशी
29 / NT / 2026	जन्म तिथि पंजीकरण	12-06-2026	30-06-2026

श्रीमती कांता देवी पुत्री बक्शी राम, वासी मोहाल पलभू, डाकघर ककड़, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

जन्म तिथि पंजीकरण under section 13 (3) of Birth & Death Act, 1969 श्रीमती कांता देवी पुत्री बक्शी राम, वासी मोहाल पलभू, डाकघर ककड़, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

प्रार्थना-पत्र बराये जन्म तिथि पंजीकरण प्रार्थिया श्रीमती कांता देवी पुत्री बक्शी राम, वासी मोहाल पलभू, डाकघर ककड़, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में दायर किया है कि उनका जन्म दिनांक 15-05-1962 को ग्राम पंचायत बजरोल में हुआ था तथा सहबन गलती से ग्राम पंचायत बजरोल में दर्ज नहीं हो पाया है। लिहाजा इसे ग्राम पंचायत बजरोल में दर्ज करने के लिए आदेश पारित किये जाएं।

अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक तारीख पेशी 30-06-2026 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज नहीं सुना जाएगा।

आज दिनांक 12-06-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी सुजानपुर,
जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, नादौन
तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)**

श्रीमती शशी कुमारी पुत्री ओम प्रकाश, महाल धमांदर, डाकघर लाहड़, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.— प्रार्थना पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969.

श्रीमती शशी कुमारी पुत्री ओम प्रकाश, महाल धमांदर, डाकघर लाहड़, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) का आवेदन पत्र समस्त रिकार्ड व शपथ पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है, शशी कुमारी

अपनी जन्म तिथि 03-08-1976 को ग्राम पंचायत सपड़ोह के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवा सकी तथा अब वह अपनी उक्त जन्म तिथि 03-08-1976 को सम्बंधित ग्राम पंचायत सपड़ोह में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस सरकारी इशतहार गजट द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त श्रीमती शशी कुमारी पुत्री ओम प्रकाश की जन्म तिथि 03-08-1976 को ग्राम पंचायत सपड़ोह के रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 16-07-2026 को तहसील कार्यालय नादौन, जिला हमीरपुर को प्रातः 10.00 बजे उपस्थित होकर अपना उजर पेश कर सकता है। आम जनता की ओर से कोई भी उजर या एतराज न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी एवं श्रीमती शशी कुमारी की जन्म तिथि 03-08-1976 को ग्राम पंचायत सपड़ोह में दर्ज करने के आदेश नियमानुसार पारित कर दिए जायेंगे।

यह इशतहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 16-06-2026 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार नादौन,
तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार नादौन एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, नादौन,
तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

आगामी सुनवाई : 13-07-2026

श्री मेहर चन्द पुत्र राम चन्द, गांव घड़ोह, मौजा हथोल, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर, (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र बराए नाम दुरुस्ती बारे।

श्री मेहर चन्द पुत्र राम चन्द, गांव घड़ोह, मौजा हथोल, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर, (हि0प्र0) ने दिनांक 11-06-2026 को इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके पिता का नाम कागजात माल टीका सेरी, मौजा जलाडी व महाल कोट, मौजा कोहला, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर, में भूरी सिंह दर्ज है, परन्तु अन्य जगह उसका नाम राम चन्द दर्ज है। प्रार्थी का कहना है कि ये दोनों नाम उसी के पिता के हैं। प्रार्थी अब दुरुस्ती करवाकर कागजात माल टीका सेरी, मौजा जलाडी व महाल कोट, मौजा कोहला, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर में अपने पिता का नाम राम चन्द उपनाम भूरी सिंह दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थी के पिता का नाम दुरुस्त करने बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 13-07-2026 को दोपहर 2.00 बजे मुकाम नादौन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। तारीख पेशी के बाद किसी किस्म का एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थिया के प्रार्थना-पत्र पर नाम दुरुस्ती बारे आवश्यक आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

ये इशतहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 12-06-2026 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, नादौन,
तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

**ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, खुण्डियां,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मुकद्दमा नं0 : 814494/2026

किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती नाम

तारीख पेशी : 24-06-2026

श्री प्रदीप कुमार राणा पुत्र श्री परस राम, निवासी महाल घरबेहड, डा० बारी कलां, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—प्रार्थना—पत्र दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल घरबेहड व महाल बारकलां, मौजा थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

प्रार्थी श्री प्रदीप कुमार राणा पुत्र श्री परस राम, निवासी महाल घरबेहड, डा० बारी कलां, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने एक प्रार्थना—पत्र मय शपथ पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख व अन्य दस्तावेजों में प्रदीप कुमार राणा दर्ज है, व उसका विख्यात व सही नाम प्रदीप कुमार राणा ही है परन्तु राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त बारकलां के महाल बारकलां व महाल घरबेहड में उसका नाम प्रदीप कुमार गलत दर्ज हो गया है। अतः प्रार्थी अब अपने नाम की राजस्व अभिलेख महाल बारकलां व महाल घरबेहड में दुरुस्ती करवा करके प्रदीप कुमार के बजाए प्रदीप कुमार राणा उपनाम प्रदीप कुमार दर्ज करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस मुश्त्री मुन्यादी चस्पांगी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के नाम की राजस्व अभिलेख महाल बारकलां व महाल घरबेहड में दुरुस्ती करवा करके प्रदीप कुमार के बजाए प्रदीप कुमार राणा उपनाम प्रदीप कुमार दर्ज करवाने बारे किसी किस्म की आपत्ति या उज्जर हो तो वो तारीख पेशी 24-06-2026 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत हो कर अपना उजर पेश कर सकता है। अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व नाम दुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएंगे।

यह ईशतहार आज दिनांक 22-05-2026 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,
खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

केस नं0 : 814487/2026

तारीख पेशी : 02-07-2026

औंकार सिंह पुत्र पोहलो, निवासी महाल टिप उपरला, डाकघर सुरानी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.— नाम दुरुस्ती

प्रार्थी औंकार सिंह पुत्र पोहलो, निवासी महाल टिप उपरला, डाकघर सुरानी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया कि पटवार वृत्त टिप के राजस्व महाल टिप उपरला, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से उसका नाम औंकार चन्द दर्ज हो गया है, जबकि उसके आधार कार्ड, विद्यालय त्याग के प्रमाण-पत्र, पैन कार्ड व परिवार रजिस्टर नकल में उसका नाम औंकार सिंह दर्ज है जोकि उसका सही नाम है। दो अलग-अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसका नाम औंकार सिंह उपनाम औंकार चन्द दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर एतराज हो तो वह दिनांक 02-07-2026 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी औंकार सिंह पुत्र पोहलो, निवासी महाल टिप उपरला, डाकघर सुरानी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में उसका नाम राजस्व पटवार वृत्त टिप के राजस्व महाल टिप उपरला के राजस्व अभिलेख में औंकार सिंह उपनाम औंकार चन्द दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 08-06-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री इन्द्र सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), उप-तहसील टापरी,
जिला किन्नौर (हि0प्र0)—172 104

मुकद्दमा संख्या : 13/B&D/2026

तारीख रजुआ : 22-05-2026

लबजाड पुत्री श्री दया नन्द, निवासी गांव व डा0 उरनी, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता ग्राम पंचायत उरनी, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

विषय.—उनवाद मुकद्दमा दरखास्त अधीन धारा-13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

आवेदिका लबजाड पुत्री श्री दया नन्द, निवासी गांव व डा0 उरनी, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0) का प्रार्थना-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला किन्नौर स्थित रिकांगपिओ के कार्यालय पत्र संख्या HFW-KNR(B&D)/25/26-6992-93 दिनांक 18-05-2026 तहसीलदार निचार के माध्यम से इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र शपथ पत्र सहित प्राप्त हुआ है, जिसमें आवेदिका ने अपनी जन्म तिथि 01-01-1973 ग्राम पंचायत उरनी में दर्ज करने बारे आवेदन किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि ग्राम पंचायत उरनी के रिकॉर्ड में लबजाड की जन्म तिथि दिनांक 01-01-1973 दर्ज किए जाने पर किसी भी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना उजर व एतराज असालतन व वकालतन एक माह के अन्दर इस अदालत में पेश करे। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज इस अदालत में पेश नहीं हुआ तो जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) के अंतर्गत आवेदिका लबजाड की जन्म तिथि ग्राम पंचायत उरनी के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किया जाएंगे।

आज दिनांक 03-06-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

**Before the Court of Marriage officer-cum-Sub-Division Megistrate, Bhabanagar,
Distt. Kinnaur (H.P.)**

Case NO. 3 (SM)/2026

In the matter of :

1. Sh. Kishor Kumar s/o Sh. Dharam Pal, r/o Village & P.O. Chagaon, Sub-Tehsil Tapri, Distt. Kinnaur (H.P.).

2. Smt. Pinky Kumari d/o Sh. Arjun Rao, Vill. and P.O. Murgawan, Prakhand Shah, PS Hulasganj, Distt. Jehnabad Bihar . . Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Application for registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Kishor Kumar s/o Sh. Dharam Pal, r/o Village & P.O. Chagaon, Sub-Tehsil Tapri, Distt. Kinnaur (H.P.) and Smt. Pinky Kumari d/o Sh. Arjun Rao, Vill. and P.O. Murgawan, Prakhand Shah, PS Hulasganj, Distt. Jehnabad Bihar have filed an application under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavit and supporting documents such as copy of Parivar Nakal and copies of Aadhar Cards, to this court wherein they have stated that they have solemnized their marriage in the year 2009 on 10th April, but could not register the marriage till date and intend to register their marriage.

Therefore, the general public are hereby informed through this notice that if any person, has any objection regarding registration of this marriage, he/she may raise his/her objection personally or may file in writing, before this court on or before 03-07-2026. In case no objection(s) are received by 03-07-2026, it will be presumed that there is no objection to the registration of above marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on this 2nd June, 2026.

Seal.

Sd/-
Marriage officer-cum-Sub Division Megistrate,
Bhabanagar, Distt. Kinnaur (H.P.).

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, नायब तहसीलदार कुल्लू, तहसील व जिला कुल्लू (हि0प्र0)

संगीता पुत्री अर्जुन, निवासी गांव व डाकघर नगर, तहसील व जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

अदालती इशतहार/नोटिस।

प्रार्थिया संगीता पुत्री अर्जुन, निवासी गांव व डाकघर नगर, तहसील व जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अंतर्गत एक आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला कुल्लू के पत्र क्रमांक HFW-KLU (Delayed Birth & Death)-KLU 2025-7005, दिनांक 27-04-2026 अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, दो गवाहन के ब्यान हल्फी, अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र, रिपोर्ट ग्राम पंचायत नगर अन्य कागजात सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थिया ने आवेदन किया है कि इनका जन्म दिनांक 03-04-2014 को हुआ है। अब वह अपने जन्म की प्रविष्टि उक्त ग्राम पंचायत नगर, तहसील व जिला कुल्लू, हि0प्र0 में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार/नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 06-07-2026 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर या एतराज प्राप्त नहीं होता तो श्रीमती संगीता पुत्री अर्जुन, निवासी गांव व डाकघर नगर, तहसील व जिला कुल्लू (हि0प्र0) में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 03-06-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी, नायब तहसीलदार कुल्लू,
जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, नायब तहसीलदार कुल्लू, तहसील व जिला कुल्लू (हि0प्र0)

श्रीमती उषा देवी पुत्री श्री ठाकुर दास, निवासी गांव गाहर, डाकघर सेऊबाग, तहसील व जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

अदालती इशतहार/नोटिस।

श्रीमती उषा देवी पुत्री श्री ठाकुर दास, निवासी गांव गाहर, डाकघर सेऊबाग, तहसील व जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अंतर्गत एक आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला कुल्लू के पत्र क्रमांक HFW-KLU (Delayed Birth & Death)-KLU 2025-7130, दिनांक 07-05-2026 अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, दो गवाहन के ब्यान हल्फी, अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र, रिपोर्ट ग्राम पंचायत गाहर अन्य कागजात सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थिया ने आवेदन किया है कि इनका जन्म दिनांक 03-04-2014 को हुआ है। अब वह अपने जन्म की प्रविष्टि उक्त ग्राम पंचायत गाहर, 11-06-1966, तहसील व जिला कुल्लू, हि0प्र0 में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार/नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 06-07-2026 को प्रातः

10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर या एतराज प्राप्त नहीं होता तो श्रीमती उषा देवी पुत्री श्री ठाकुर दास, निवासी गांव गाहर, डाकघर सेऊबाग, तहसील व जिला कुल्लू (हि0प्र0) में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 03-06-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी, नायब तहसीलदार कुल्लू,
जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, नायब तहसीलदार कुल्लू, तहसील व जिला कुल्लू (हि0प्र0)

श्रीमती इंद्रा देवी पुत्री श्री फतेह चंद, निवासी गांव बडेहिरागां, डाकघर भल्यानी, तहसील व जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

अदालती इशतहार/नोटिस।

श्रीमती इंद्रा देवी पुत्री श्री फतेह चंद, निवासी गांव बडेहिरागां, डाकघर भल्यानी, तहसील व जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अंतर्गत एक आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला कुल्लू के पत्र क्रमांक HFW-KLU (Delayed Birth & Death)-KLU 2025-10820, दिनांक 02-05-2026 अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, दो गवाहन के ब्यान हल्फी, अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र, रिपोर्ट ग्राम पंचायत भूमतीर अन्य कागजात सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थिया ने आवेदन किया है कि इनका जन्म दिनांक 01-04-1970 को हुआ है। अब वह अपने जन्म की प्रविष्टि उक्त ग्राम पंचायत भूमतीर, तहसील व जिला कुल्लू हि0प्र0 में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार/नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 06-07-2026 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर या एतराज प्राप्त नहीं होता तो श्रीमती इंद्रा देवी पुत्री श्री फतेह चंद, निवासी गांव बडेहिरागां, डाकघर भल्यानी, तहसील व जिला कुल्लू (हि0प्र0) में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 03-06-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी, नायब तहसीलदार कुल्लू,
जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

श्री कृष्ण लाल पुत्र श्री शेतु राम, निवासी गांव व डाकघर बड़ागां, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रकाशन इश्तहार बाबत नाम दुरुस्त करने बारे।

श्री कृष्ण लाल पुत्र श्री शेतु राम, निवासी गांव व डाकघर बड़ागां, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में राजस्व अभिलेख महाल बड़ागां में नाम दुरुस्त करने के लिए आवेदन पत्र मय शपथ पत्र गुजारा है कि महाल बड़ागां के राजस्व अभिलेख में मेरा नाम कृष्ण चन्द दर्ज है, जोकि गलत दर्ज कागजात माल है जबकि मेरा नाम मुताबिक रिपोर्ट पटवारी पटवार वृत्त बड़ागां व परिवार नकल, आधार कार्ड में कृष्ण लाल है जोकि सही है जिसे अब दर्ज करने बारे सिफारिश की गई है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को श्री कृष्ण लाल का नाम दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 07-07-2026 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार महाल बड़ागां के राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 08-06-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

कार्यालय तहसीलदार मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

केस नं0 : 804350/2026

दायर तारीख : 07-06-2026

प्रीतम चंद

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रकाशन इश्तहार।

इस न्यायालय में श्री प्रीतम चंद पुत्र लाल चंद, निवासी गांव व डाकघर करजां, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हि0प्र0 ने अपने नाम दुरुस्ती के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। इस संबंध में श्री प्रीतम चंद ने आधार कार्ड, पेन कार्ड, नकल परिवार रजिस्टर व शपथ पत्र संलग्न किये हैं जिसके अनुसार आवेदक का नाम श्री प्रीतम चंद पुत्र लाल चंद दर्ज है और राजस्व अभिलेख में श्री प्रीतम चंद पुत्र लाल चंद दर्ज करने की प्रार्थना की है। मामला छानबीन के लिए क्षेत्रीय राजस्व अभिकरण को भेजा गया था। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी पटवार वृत्त वरशाई में पाया गया कि महाल करजां के खाता/खतौनी नं0 93/147, 168/261, 281/426, 358/509, 400/560, 408/568, 409/569 व 412/578 में राजू पुत्र लाल चंद दर्ज हुआ है जोकि गलत है जिसे अब दुरुस्त करवाने के आदेश फरमाये जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त व्यक्ति श्री प्रीतम चंद पुत्र लाल चंद के नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 07-07-2026 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। यदि नाम दुरुस्ती करने बारे आपत्ति प्राप्त न हुई तो यह समझा जाएगा कि नाम दुरुस्ती करने बारे किसी को कोई एतराज न है तथा नाम दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 07-07-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

कार्यालय तहसीलदार मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

केस नं0 : 804349/2026

दायर तारीख : 07-06-2026

गुमत राम

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रकाशन इश्तहार।

इस न्यायालय में श्री गुमत राम पुत्र लाल चंद, निवासी गांव व डाकघर करजां, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हि0प्र0 ने अपने नाम दुरुस्ती के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। इस संबंध में श्री गुमत राम ने आधार कार्ड, पेन कार्ड, नकल परिवार रजिस्टर व शपथ पत्र संलग्न किये हैं जिसके अनुसार आवेदक का नाम श्री गुमत राम पुत्र लाल चंद दर्ज है और राजस्व अभिलेख में श्री गुमत राम पुत्र लाल चंद दर्ज करने की प्रार्थना की है। मामला छानबीन के लिए क्षेत्रीय राजस्व अभिकरण को भेजा गया था। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी पटवार वृत्त वरशाई में पाया गया कि महाल करजां के खाता/खतौनी नं0 93/147, 168/261, 281/426, 358/509, 400/560, 408/568, 409/569 व 412/578 में सिंघू पुत्र लाल चंद दर्ज हुआ है जोकि गलत है जिसे अब दूरुस्त करवाने के आदेश फरमाये जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त व्यक्ति श्री गुमत राम पुत्र लाल चंद के नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 07-07-2026 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। यदि नाम दुरुस्ती करने बारे आपत्ति प्राप्त न हुई तो यह समझा जाएगा कि नाम दुरुस्ती करने बारे किसी को कोई एतराज न है तथा नाम दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 07-07-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली,
जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

श्री भीर चन्द पुत्र श्री भीखम राम, निवासी गांव स्वाई, डाकघर कलाथ, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रकाशन इश्तहार बाबत नाम दुरुस्ती करने बारे।

श्री भीर चन्द पुत्र श्री भीखम राम, निवासी गांव स्वाई, डाकघर क्लाथ, तहसील मनाली, जिला (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में राजस्व अभिलेख महाल शलीण में नाम दुरुस्त करने के लिए आवेदन पत्र मय शपथ पत्र गुजारा है कि महाल शलीण के राजस्व अभिलेख में मेरा नाम वीर चन्द दर्ज है, जोकि गलत दर्ज कागजात माल है। जबकि मेरा नाम मुताबिक रिपोर्ट ग्रामीण राजस्व अधिकारी पटवार वृत्त शलीण व परिवार नकल, आधार कार्ड में भीर चन्द है, जोकि सही है जिसे अब दर्ज करने बारे सिफारिश की गई है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को श्री भीर चन्द का नाम दर्ज करने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 13-07-2026 को या इससे पूर्व अदालत हज़ा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार महाल शलीण के राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 12-06-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली,
जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

शीर्षक :

श्री मोहन सिंह पुत्र श्री बंगाली राम, निवासी गांव कनैड, डाकघर कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

प्रार्थना—पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत पंजीकरण करने बारे।

आवेदक श्री मोहन सिंह पुत्र श्री बंगाली राम, निवासी गांव कनैड, डाकघर कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी हि0प्र0 ने इस न्यायालय में आवेदन—पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969, मय District Registrar (Birth & Death)-cum-Chief Medical Officer Mandi द्वारा जारी पत्र, तथा अनुपलब्धता प्रमाण पत्र तथा दो गवाहन के शपथ पत्र आदि सहित प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 01-07-1968 को गांव कनैड, डाकघर कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 में हुआ है परन्तु उक्त जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 के अभिलेख में दर्ज नहीं है। आवेदक अपनी जन्म तिथि 01-07-1968 का पंजीकरण ग्राम पंचायत कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 के अभिलेख में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि पंजीकरण बारा किसी भी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 06-07-2026 को मुकर्रर तारीख पर बरवक्त

10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा आपके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 05-06-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

शीर्षक :

रजिया पुत्री श्री रहमत अली, निवासी गांव डीनक, डाकघर कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

प्रार्थना—पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत पंजीकरण करने बारे।

आवेदिका रजिया पुत्री श्री रहमत अली, निवासी गांव डीनक, डाकघर कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 ने इस न्यायालय में आवेदन—पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969, मय Addl. Registrar (Birth & Death)-cum-Distt. Health Officer Mandi Distt. Mandi (H.P.) द्वारा जारी पत्र तथा दो गवाहन के शपथ पत्र आदि सहित प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 19-10-1986 को गांव डीनक, डाकघर कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 में हुआ है परन्तु उक्त जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत डुगराई, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 के अभिलेख में दर्ज नहीं है। आवेदिका अपनी जन्म तिथि 19-10-1986 का पंजीकरण ग्राम पंचायत डुगराई, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 के अभिलेख में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि पंजीकरण बारा किसी भी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 06-07-2026 को मुकर्रर तारीख पर बरवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा आपके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 06-06-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sunder Nagar,
District Mandi, H.P.**

In the matter of :

1. Sh. Ananda Krishnan R s/o Sh. Radhak Krishna Pillai A, Aramam, 30 A, Karicode, TKMC, P.O. Kottamkara, Kollan Kerala-691 005.

2. Ms. Ritika Saini d/o Sh. Surender Kumar, r/o V.P.O. Kalahod, Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi (H.P.) . . Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Notice of intended Marriage under section 5 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Ananda Krishnan R s/o Sh. Radhak Krishna Pillai A, Aramam, 30 A, Karicode, TKMC, P.O. Kottamkara, Kollan Kerala-691 005 and Ms. Ritika Saini d/o Sh. Surender Kumar, r/o V.P.O. Kalahod, Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi (H.P.) have presented a notice in the court of undersigned under section 5 of special Marriage Act, 1954 that they are intending to marry within three calendar months and hence their marriage may be solemnized and registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 04-07-2026, after that no objection will be entertained and marriage will be accordingly solemnized & registered.

Issued today on 05th day of June, 2026 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sadar, District Mandi (H.P.).*

In the Court of Sh. Daya Nand Sharma Executive Magistrate, Grade-II Rohru, District Shimla (H.P.)

In the matter of :

Sh. Krishan Singh s/o Late Sh. Twarsi, r/o Village Dalgaon, P.O. Kutara, Tehsil Rohru, District Shimla (H.P.) . . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Subject.—Application under section 13 (3) of the Birth and Death Registration Act 1969.

Whereas, Sh. Krishan Singh s/o Late Sh. Twarsi, r/o Village Dalgon, P.O. Kutara, Tehsil Rohru, District Shimla (H.P.) has filed an application alongwith the affidavit in the court of the undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act 1969, to enter Date of Birth of his (16-09-1993) in the record of Birth Register of Gram Panchayat Dalgaon.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding to enter the Date of birth of Sh. Krishan Singh s/o Late Sh. Twarsi, they should appear before the court of undersigned within 30 days from the publication of this notice, either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, it would be deemed that there is no objection and order shall be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on this 11 June, 2026.

Seal.

Sd/-
Naib-Tehsildar Rohru,
District Shimla (H.P.).

In the Court of Sh. Daya Nand Sharma Executive Magistrate, Grade-II Rohru, District Shimla (H.P.)

In the matter of :

Sh. Narain Singh s/o Sh. Lachhmi Nand, r/o Village Mandharli, P.O. Karasa, Tehsil Rohru, District Shimla (H.P.) . . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Subject.—Application under section 13 (3) of the Birth and Death Registration Act 1969.

Whereas, Sh. Narain Singh s/o Sh. Lachhmi Nand, r/o Village Mandharli, P.O. Karasa, Tehsil Rohru, District Shimla (H.P.) has filed an application alongwith the affidavit in the court of the undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act 1969, to enter date of Birth of his (11-01-1983) in the record of Birth Register of Gram Panchayat Karasa.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding to enter the Date of Birth of Sh. Narain Singh s/o Sh. Lachhmi Nand, they should appear before the court of undersigned within 30 days from the publication of this notice, either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, it would be deemed that there is no objection and order shall be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on this 10 June, 2026.

Seal.

Sd/-
Naib-Tehsildar Rohru,
District Shimla (H.P.).

In the Court of Sh. Daya Nand Sharma Executive Magistrate, Grade-II Rohru, District Shimla (H.P.)

In the matter of :

Sh. Ran Vijay s/o Late Sh. Rai Singh, r/o Village Ganga Nagar, P.O. Sheel, Tehsil Rohru, District Shimla, Himachal Pradesh . . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Subject.—Application under section 13 (3) of the Birth and Death Registration Act 1969.

Whereas, Sh. Ran Vijay s/o Late Sh. Rai Singh, r/o Village Ganga Nagar, P.O. Sheel, Tehsil Rohru, District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application alongwith the affidavit in the court of the undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act 1969, to enter Date of Birth of his (09-08-2018) in the record of Birth Register of Gram Panchayat Sheel.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding to enter the Date of Birth of Sh. Ran Vijay s/o Late Sh. Rai Singh, they should appear before the court of undersigned within 30 days from the publication of this notice, either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, it would be deemed that there is no objection and order shall be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on this 11 June, 2026.

Seal.

Sd/-

*Naib-Tehsildar Rohru,
District Shimla (H.P.).*

In the Court of Sh. Daya Nand Sharma Executive Magistrate, Grade-II Rohru, District Shimla (H.P.)

In the matter of :

Sh. Lahor Singh s/o Sh. Gulab Singh, r/o Village Mandali, P.O. Samoli, Tehsil Rohru, District Shimla, Himachal Pradesh

. . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Subject.—Application under section 13 (3) of the Birth and Death Registration Act 1969.

Whereas, Sh. Lahor Singh s/o Sh. Gulab Singh, r/o Village Mandali, P.O. Samoli, Tehsil Rohru, District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application alongwith the affidavit in the court of the undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969, to enter Date of Birth of his (02-10-1964) in the record of Birth Register of Gram Panchayat Munchhara.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding to enter the Date of Birth of Sh. Lahor Singh s/o Sh. Gulab Singh, they should appear before the court of undersigned within 30 days from the publication of this notice, either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, it would be deemed that there is no objection and order shall be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on this 10 June, 2026.

Seal.

Sd/-
Naib-Tehsildar Rohru,
District Shimla (H.P.).

In the Court of Sh. Daya Nand Sharma Executive Magistrate, Grade-II Rohru, District Shimla (H.P.)

In the matter of :

Sh. Roshan Lal s/o Late Sh. Nain Sukh, r/o Village Bharetly, P.O. Kutara, Tehsil Rohru,
District Shimla, Himachal Pradesh . . Applicant.

Versus

General Public . . Respondent.

Subject.—Application under section 13 (3) of the Birth and Death Registration Act 1969.

Whereas, Sh. Roshan Lal s/o Late Sh. Nain Sukh, r/o Village Bharetly, P.O. Kutara, Tehsil Rohru, District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application alongwith the affidavit in the court of the undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969, to enter Date of Birth of his (01-07-1990) in the record of Birth Register of Gram Panchayat Dalgaon.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding to enter the Date of Birth of Sh. Roshan Lal s/o Late Sh. Nain Sukh, they should appear before the court of undersigned within 30 days from the publication of this notice, either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, it would be deemed that there is no objection and order shall be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on this 10 June, 2026.

Seal.

Sd/-
Naib-Tehsildar Rohru,
District Shimla (H.P.).

**In the Court of Tehsildar-cum-Executive Magistrate, Shimla (Urban),
District Shimla, Himachal Pradesh**

Nyolgha s/o Late Sh. Serthak, r/o Gyumed Tantric, University, TRN Settlement, Gurupura,
Mysuru District Karnataka, India Pin-571 105 . . Applicant.

Versus

General Public

.. Respondent.

Application under Section 13(3) of Birth and Death Registration Act 1969.

Whereas, Nyolgha s/o Late Sh. Serthak, r/o Gyumed Tantric, University, TRN Settlement, Gurupura, Mysuru District Karnataka, India Pin-571 105 has filed an application before the undersigned for registration of the birth of himself born on 05-07-1979 at Tibetan Colony Panthaghati Shimla, Tehsil & Distt. Shimla.

Therefore through this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection to the registration of the aforesaid birth may submit the same in writing before this Court within 30 (Thirty) days from the date of publication of this notice in the official Gazette.

No objection received after the prescribed period and application shall be entertained, and the application shall be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 11 June, 2026.

Seal.

Sd/-
Tehsildar Shimla (Urban),
District Shimla (H.P.).

**In the Court of Mukesh Sharma HAS, Sub-Divisional Magistrate, Kumarsain,
District Shimla (H.P.)**

In the matter of :

Anju w/o Sh. Ramesh, r/o Village Swari, P.O. Kumarsain, Tehsil Kumarsain, District Shimla (H.P.) *..Applicant.*

Versus

General Public

..Respondant.

Notice/Proclamation Regarding Correction of Name in Aadhar Card of Kartik.

Whereas, the above-named applicant has submitted an application for the correction of name of her son from Karitak to Kartik in the recorded of Aadhar Card and all other relevant documents associated with the application.

Now, therefore, the objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding change of name as Kartik in place of Karitak, they should appear before the undersigned on or before 10-07-2026 either personally or through their authorized agent/pleader.

In the event of their failure to do so, order shall be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard.

Issued today on 11-06-2026 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-
(Mukesh Sharma HAS,) *Sub-Divisional Magistrate,*
Kumarsain, District Shimla (H.P.).

**In the Court of Sh. Dwij Goel, IAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.)-173 025**

Notice Under Special Marriage Act, 1954

In the matter of :

1. Sh. Sunil Kumar s/o Sh. Ram Murti, r/o Village Bhare Wala, Sainwala Mubarakpur (151), Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.).
2. Kiran Bala d/o Sh. Issar, r/o Village Kotri Byas, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.)

Versus

General Public

Subject.—Application for registration of marriage under Section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Sunil Kumar s/o Sh. Ram Murti, r/o Village Bhare Wala, Sainwala Mubarakpur (151), Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.) and Kiran Bala d/o Sh. Issar, r/o Village Kotri Byas, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.) has filed an application alongwith affidavits in this court under section 15 of Special Marriage Act, 1954 and stating therein that they have solemnized their marriage on 29-11-2022 and they have been living together as husband and wife ever since then. Hence notices are given to all concerned and General Public to this effect that if anybody have any objection regarding the registration of marriage duly solemnized on 29-11-2022 between Sh. Sunil Kumar s/o Sh. Ram Murti, r/o Village Bhare Wala, Sainwala Mubarakpur (151), Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.) and Kiran Bala d/o Sh. Issar, r/o Village Kotri Byas, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.). He/she should file written objections and appear personally or through an authorized agent before this court within 30 days from the date of issued of this notice. After expiry of the said period the marriage certificate would be issued to the applicants by this court.

Issued under my hand and office seal of the court on 08-06-2026.

Seal.

Sd/-
(DWIJ GOEL, IAS), *Marriage Officer-cum-SDM,*
Paonta Sahib, Sirmaur, District Sirmaur (H.P.).

ब अदालत श्री विनोद कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील नौहराधार,
जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्री रविन्द्र सिंह पुत्र श्री सही राम, निवासी व डाकघर नौहराधार, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री रविन्द्र सिंह पुत्र श्री सही राम, निवासी व डाकघर नौहराधार, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री की जन्म तिथि 26-02-1989 है और उसे ग्राम पंचायत नौहराधार के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 04-07-2026 से पूर्व इस अदालत में किसी भी कार्यदिवस में प्रस्तुत करें, बसूरत दीगर मनीषा की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 05-06-2026 को हमारे हस्ताक्षर तथा मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं0 : /2026

श्री विकी पुत्र हरमेश चंद, निवासी बेहडेवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री विकी पुत्र हरमेश चंद, निवासी बेहडेवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय केसिस/20266-1905, दिनांक 22-05-2026 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थी ने प्रार्थना की है कि उसकी माता जी जिनका नाम झयानो देवी पत्नी हरमेश चंद की मृत्यु तिथि

11-08-1997 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थी की माता जी की मृत्यु तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत अमरकोट के मृत्यु तिथि अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 29-06-2026 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में श्रीमती ज्ञयानो देवी पत्नी हरमेश चंद, निवासी बेहडेवाला की मृत्यु तिथि 11-08-1997 है, को तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 29-05-2026 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

**In the Court of Gopal Sharma, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Solan, Tehsil & District Solan (H.P.)**

NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT

Whereas, Mr. Bhanu Solanki s/o Mr. Davendra Singh Solanki, r/o 136, Shiv Nagar, Ram Das Ghati, Lashkar, District Gwalior, Madhya Pradesh and Mrs. Priyanka Sharma w/o Mr. Bhanu Solanki and d/o Mr. Ravinder Nath Sharma *alias* R.N. Sharma, r/o Set No. 29/III, UHF Nauni, Tehsil and Distt. Solan (H.P.), have filed an application for the registration of their marriage, which was solemnized on 20-02-2018 and they have been living as husband and wife ever since then.

And whereas, both applicants have submitted in their application and in their affidavits that Mr. Bhanu Solanki and Mrs. Priyanka Sharma were unmarried at the time of solemnization of their marriage and were major in age and having no prohibited relations to each other, debarring them to marry each other. Both the applicants have requested for registration of their marriage.

Notices have been served to all concerned and General Public to this effect that if anybody has got any objection regarding the registration of marriage duly solemnized between the above parties *i.e.* Mr. Bhanu Solanki and Mrs. Priyanka Sharma they may file their written objections and appear personally or through their authorized agents before me within a period of thirty days from the date of issuance of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court post which no objection will be heard or accepted.

Issued under my hand and seal of the court on this 08th day of June, 2026.

Seal.

Sd/-
(GOPAL SHARMA, HPAS),
Marriage Officer-cum- Sub Divisional Magistrate,
Solan, District Solan (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Pramod Kumar s/o Sh. Narender Verma, r/o Village Shangal-Ka-Jubber, P.O. Bhont, Tehsil & District Shimla (H.P.)-171 003 declare that the mother & name of my daughter Garima Verma has been wrongly recorded as Usha in her CBSE Matriculation Certificate Roll No. 17285847. The correct name is Usha Devi. Hence, Usha may be read as Usha Devi for all purposes.

PRAMOD KUMAR
s/o Sh. Narender Verma,
r/o Village Shangal-Ka-Jubber, P.O. Bhont,
Tehsil & District Shimla (H.P.)-171 003.

CHANGE OF NAME

I, Man Singh s/o Sh. Bhagat Ram, r/o Village & Post Office Gunah Kalan, Tehsil Ramshahr, District Solan (H.P.) declare that I have changed the name of my son from Himat Singh to Hemant Kumar. All concerned please note.

MAN SINGH
s/o Sh. Bhagat Ram,
r/o Village & Post Office Gunah Kalan,
Tehsil Ramshahr, District Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Tulsi Devi w/o Sh. Pyare Ram, P.O. Kholanal Khahri (553), Mahogi, Distt. Mandi (H.P.) declare that I have changed my son's name from Charangi Lal to Chiranji Lal in his Aadhar Card record.

TULSI DEVI
w/o Sh. Pyare Ram,
P.O. Kholanal Khahri (553),
Mahogi, Distt. Mandi (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Meena Devi w/o Sh. Kashmir Singh, r/o Village Salan (Lahri), P.O. Karer, Sub-Tehsil Bhota, Distt. Hamirpur (H.P.) declare that in my some documents my name entered as Meena Kumari & Asha Devi. Whereas, my correct name is Meena Devi. Meena Kumari, Asha Devi & Meena Devi all are the names of one and the same person. All concerned please note.

MEENA DEVI
w/o Sh. Kashmir Singh,
r/o Village Salan (Lahri), P.O. Karer,
Sub-Tehsil Bhota, Distt. Hamirpur (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Ras Bahadur (New Name) s/o Sh. Veeru Bhadur, Bholar (123/1), P.O. Bholad, Distt. Shimla (H.P.)-171 216 do hereby declare that I have changed my name Raj Kumar (Old Name) to Ras Bahadur (New Name) for all future purposes. All concerned please may note.

RAS BAHADHUR
*s/o Sh. Veeru Bhadur, Bholar (123/1),
P.O. Bholad, Distt. Shimla (H.P.)-171 216.*

CHANGE OF NAME

I, Dinesh Kumar s/o Late Sh. Gopal Dass, r/o Village Pujarli, P.O. Summerkot, Tehsil Rohru, Distt. Shimla (H.P.) declare that I have changed my son's name from Yug (Old Name) to Yug Singh Mehta (New Name). Note the relevant information.

DINESH KUMAR
*s/o Late Sh. Gopal Dass,
r/o Village Pujarli, P.O. Summerkot,
Tehsil Rohru, Distt. Shimla (H.P.).*

CORRECTION OF NAME

I, Naresh s/o Sh. Budhiya Ram, r/o Village Shilwara (144), P.O. Shivpur, District Sirmaur (H.P.)-173 023 declare that in my PAN Card bearing No. BQLPN7040R, my father's name has been wrongly entered as Mohinder Singh, which should be corrected as Budhiya Ram. Please correct this.

NARESH
*s/o Sh. Budhiya Ram,
r/o Village Shilwara (144), P.O. Shivpur,
District Sirmaur (H.P.)-173 023.*

CHANGE OF NAME

I, Deepak s/o Sh. Ram Singh, Village Bag, Bag (165), P.O. Mahasu, Distt. Shimla (H.P.) -171 202 declare that I have changed my minor son's name from Dvyansh (Previous Name) to Divyansh (New Name). All concerned please may note.

DEEPAK
*s/o Sh. Ram Singh,
Village Bag, Bag (165),
P.O. Mahasu, Distt. Shimla (H.P.)-171 202.*

CHANGE OF NAME

I, Tara Gharti age about 18 years d/o Sh. Sukh Chand, c/o Hem Chand, V.P.O. Himri (11), Shimla Kotkhai (H.P.)-171 202 declare that I have changed my name from Tara (Old Name) to Tara Gharti (New Name). All concerned please may note.

TARA GHARTI

*d/o Sh. Sukh Chand, c/o Hem Chand,
V.P.O. Himri (11), Kotkhai Shimla (H.P.)-171 202.*

CHANGE OF NAME

I, Kanchan Thakur w/o Sh. Om Prakash, r/o Vill. Ludhiana, P.O. Pehad, Tehsil Dharampur, Distt. Mandi (H.P.) declare that I have changed my name from Kanchna Thakur to Kanchan Thakur. I shall be known as Kanchan Thakur for all purposes in future. All concerned please note.

KANCHAN THAKUR

*w/o Sh. Om Prakash,
r/o Vill. Ludhiana, P.O. Pehad,
Tehsil Dharampur, Distt. Mandi (H.P.).*

CHANGE OF NAME

I, Vandana Devi w/o Sh. Narinder Kumar, r/o Ward No. 7, Chowari, Distt. Chamba (H.P.) declare that my daughter's name was wrongly entered as "Baby one of Vandana" in her Aadhar Card. Her correct name is Shanvi Goswami. It may be read and corrected as Shanvi Goswami for all purposes. All concerned note it.

VANDANA DEVI

*w/o Sh. Narinder Kumar,
r/o Ward No. 7, Chowari,
Distt. Chamba (H.P.).*

CHANGE OF NAME

I, Shilpa Kumari w/o Sh. Ravi Kumar, d/o Sh. Ramesh Kumar Rihal, r/o Vill. Bandroh, P.O. Bhater, Teh. Tauni Devi, Distt. Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name from Madhu to Shilpa Kumari. I shall be known as Shilpa Kumari for all purposes in future. All concerned please note.

SHILPA KUMARI

*w/o Sh. Ravi Kumar, d/o Sh. Ramesh Kumar Rihal,
r/o Vill. Bandroh, P.O. Bhater,
Teh. Tauni Devi, Distt. Hamirpur (H.P.).*

CHANGE OF NAME

I, Manju Thakur w/o Sh. Bhopesh Thakur, r/o Pathania Niwas, Near Laxmi Narayan Temple, Kasumpti Shimla Urban, Shimla (H.P.) I have changed my name from Manju to Manju Thakur after marriage. All concerned please may note.

MANJU THAKUR
w/o Sh. Bhopesh Thakur,
r/o Pathania Niwas,
Near Laxmi Narayan Temple,
Kasumpti Shimla Urban, Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Judhia Devi w/o Sh. Lala Ram, r/o Vill. Dhar, P.O. Patnaun, Tehsil Bamson at Tauni Devi, Distt. Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name from Ajudhya Devi to Judhia Devi. I shall be known as Judhia Devi for all purposes in future. All concerned please note.

JUDHIA DEVI
w/o Sh. Lala Ram,
r/o Vill. Dhar, P.O. Patnaun,
Tehsil Bamson at Tauni Devi,
Distt. Hamirpur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Sant Ram s/o Sh. Nargu, Tehsil Theog, Sainj (334), Shimla, Himachal Pradesh-171 220 do hereby declare that my daughter's name is wrongly recorded in Aadhar Card as Ninu (old name). The correct name of my daughter is Nitika (new name). All concerned please may note.

SANT RAM
s/o Sh. Nargu,
Tehsil Theog, Sainj (334),
Shimla, Himachal Pradesh-171 220.

CHANGE OF NAME

I, Karam Paul s/o Sh. Gopal Singh, Village Pujai, Tharola (83), Shimla, Himachal Pradesh-171 202 declare that I have changed my minor son's name from Kaka (previous name) to Kastav Paul (new name). All concerned please may note.

KARAM PAUL
s/o Sh. Gopal Singh,
Village Pujai, Tharola (83), Shimla,
Himachal Pradesh-171 202.

CHANGE OF NAME

I, Sudhuru (new name) w/o Late Sh. Jeet Ram, Village Namana, P.O. Kiar, Tehsil Theog, Kiar (109), Shimla, Himachal Pradesh-171 220 declare that I have changed my name from Saduru (old name) to Sudhuru (new name). All concerned please may note.

SUDHURU
w/o Late Sh. Jeet Ram,
Village Namana, P.O. Kiar, Tehsil Theog,
Kiar (109), Shimla, Himachal Pradesh-171 220.

CHANGE OF NAME

I, Opinder Thapa s/o Sh. Bir Singh, Sainj (134), Shimla, Himachal Pradesh-171 220 do hereby declare that my daughter's name is wrongly recorded in Aadhar Card as Mannt (old name). The correct name of my daughter is Mannat (new name). All concerned please may note.

OPINDER THAPA
s/o Sh. Bir Singh,
Sainj (134), Shimla,
Himachal Pradesh-171 220.

CHANGE OF NAME

I, Lachhmi Devi aged about 20 years d/o Sh. Susheel Chand c/o Daya Nand, Village Gwalath, P.O. Kuinal, Tehsil Kotkhai, Distt. Shimla, Khalana (29), P.O. Quinal, Distt. Shimla, Himachal Pradesh-171 202 declare that I have changed my name from Lachmi (old name) to Lachhmi Devi (new name). All concerned please may note.

LACHHMI DEVI
d/o Sh. Susheel Chand
c/o Daya Nand,
Village Gwalath, P.O. Kuinal,
Tehsil Kotkhai, Distt. Shimla, Khalana (29),
P.O. Quinal, Distt. Shimla, Himachal Pradesh-171 202.

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला-02, 19 जून, 2026

संख्या यू.डी.-ए.(3)-7 / 2024-चम्बा.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 2015 के नियम 90 के उप-नियम (6) के साथ पठित, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 27 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला चम्बा में नगर परिषद चम्बा की बाबत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन को निम्न प्रकार से राजपत्र में अधिसूचित करते हैं:—

नगर परिषद का नाम	निर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का नाम व पता	
नगर परिषद चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0।	अध्यक्ष	उपाध्यक्ष
	श्रीमती भुवनेश्वरी कुमारी पत्नी श्री हरमिन्द्र सिंह, निवासी मोहल्ला जुलाकड़ी, जिला चम्बा, हि0प्र0।	श्री जितेन्द्र कुमार सूर्या पुत्र श्री देवी दास, निवासी मोहल्ला धड़ोग, चम्बा।

नगर परिषद चम्बा, जिला चम्बा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन का परिणाम, जिसकी अधिसूचना एतद्वारा जारी की जाती है, माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित सिविल रिट याचिका संख्या 9291/2026, शीर्षक सीमा एवं अन्य बनाम राज्य निर्वाचन आयोग एवं अन्य के अंतिम परिणाम के अधीन होगा।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित / —
मुख्य सचिव।

[Authoritative English text of this Department Notification No.-UD-A(3)-7/2024-Chamba dated 19th June, 2026 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 19th June, 2026

No. UD-A(3)-7/2024-Chamba.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 27 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994) read with sub-rule (6) of rule 90 of the Himachal Pradesh Municipal Election Rules, 2015 the Governor of Himachal Pradesh is pleased to notify in the Official Gazette election of the President and Vice-President in respect of Municipal Council Chamba, District Chamba, H.P. as under:—

Name of Municipal Council	Name & Address of Elected President & Vice-President	
Municipal Council Chamba	President	Vice-President
	Smt. Bhuvneshwari Kumari w/o Sh. Harminder Singh r/o Mohalla Julahkari, District Chamba, H.P.	Sh. Jitender Kumar Surya s/o Sh. Devi Dass, r/o Mohalla Dharog, Chamba .

The result of the election of the President and Vice-President of Municipal Council Chamba, District Chamba, hereby notified, shall be subject to the final outcome of CWP No. 9291 of 2026 titled Seema & others Versus State Election Commission & others, pending before the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh.

By order,

Sd/-

Chief Secretary.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट <https://rajpatra.hp.gov.in> पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।